



उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्

संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, अपर
आमवाला देहरादून (Website : www.ubter.in, www.ubtersn.in)

चिकित्सा विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत उपचारिका (स्टाफ नर्स) के पदों पर भर्ती हेतु संशोधित विज्ञापन
विज्ञापन सं० 938 /उप्राशिप/चि०वि०उप०भ०/2020-21 दिनांक: 02 फरवरी 2021

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	03 फरवरी 2021 (बुद्धवार)
वेबसाइट www.ubter.in अथवा www.ubtersn.in पर आनलाईन आवेदन पत्र भरने की तिथि	05 फरवरी 2021 (शुक्रवार)
वेबसाइट www.ubter.in अथवा www.ubtersn.in पर आनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि	04 मार्च 2021 (गुरुवार)
वेबसाइट www.ubter.in अथवा www.ubtersn.in पर आनलाईन भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करने की अंतिम तिथि	05 मार्च 2021 (शुक्रवार)
ऑनलाईन स्क्रीनिंग के उपरान्त अस्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों की सूची अपलोड करने की तिथि	20 मार्च 2021 (शनिवार)
अस्वीकृत आवेदनकर्ताओं द्वारा सम्बन्धित प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि	25 मार्च 2021 (गुरुवार)
लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र ऑनलाईन जारी करने की तिथि	05 अप्रैल 2021 (सोमवार)
लिखित परीक्षा की तिथि:-	18 अप्रैल 2021 (रविवार)

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 898/XXVII-2-2020-51/2017 दिनांक 04 दिसम्बर 2020 के द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रभावी रोकथाम हेतु स्टॉफ नर्स (नर्सिंग संवर्ग की उपचारिका) के सीधी भर्ती के पदों पर शीघ्र भर्ती की तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम चयन प्रक्रिया हेतु परिषद् को परीक्षा एजेन्सी नामित किया गया। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा पत्रांक-3प/पैरा/उपा०/26/2020/20627 दिनांक 07/12/2020 के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 1238 पदों का अध्याचन परिषद् को उपलब्ध कराया गया। प्राप्त अध्याचन के आधार पर उत्तराखण्ड चिकित्सा विभाग में उपचारिका (स्टाफ नर्स) के 1238 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन सं० 799/उप्राशिप/चि०वि०उप०भ०/2020-21 दिनांक: 12 दिसम्बर 2020 के माध्यम से अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा पत्रांक 3प/पैरा/उपा०/8/2009/805 दिनांक 05 जनवरी 2021 में अवगत कराया गया है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभागान्तर्गत नर्सिंग संवर्ग के अधीन सीधी भर्ती के माध्यम से उपचारिकाओं की नियुक्ति हेतु उत्तराखण्ड अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली 2020 में संशोधन किये जाने प्रस्तावित है। महानिदेशक द्वारा अनुरोध किया गया है कि शासन स्तर से प्रकरण में उचित दिशा-निर्देश प्राप्त होने अथवा उत्तराखण्ड अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली 2020 पुनः संशोधन उपरान्त प्राप्त होने तक नर्सिंग संवर्ग के अधीन सीधी भर्ती के माध्यम से उपचारिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया को स्थगित किया जाय।

महानिदेशक द्वारा प्रेषित उक्त पत्र के क्रम में परिषद् द्वारा विज्ञापन संख्या 799/उप्राशिप/चि०वि०उप०भ०/2020-21 दिनांक 12 दिसम्बर 2020 के माध्यम से जारी नियुक्ति प्रक्रिया को विज्ञापन संख्या 869/उप्राशिप/चि०वि०उप०भ०/2020-21 दिनांक 06 जनवरी 2021 के माध्यम से स्थगित कर दिया गया।

वर्तमान में महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा पत्रांक 3प/पैरा/उपा०/26/2020/1166 दिनांक 16 जनवरी 2021 एवं पत्रांक 3प/पैरा०/उपा०/8/2009/1733 दिनांक 23 जनवरी 2021 के माध्यम से उत्तराखण्ड अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली 2021 के साथ 1238 पदों का अध्याचन उपलब्ध कराया गया है।

अतः परिषद् द्वारा 1238 स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती हेतु पूर्व में विज्ञापन संख्या 799/उप्राशिप/चि०वि०उप०भ०/2020-21 दिनांक 12 दिसम्बर 2020 द्वारा जारी विज्ञापित को निरस्त करते हुए उत्तराखण्ड अधीनस्थ, नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015, उत्तराखण्ड अधीनस्थ नर्सिंग

(अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमवाली, 2020 तथा उत्तराखण्ड अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमवाली, 2021 एवं अधियाचन के अनुरूप 1238 स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से निम्नानुसार ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

नोट:- जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं शुल्क जमा करने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है एवं उनके द्वारा वर्तमान उत्तराखण्ड अधीनस्थ, नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा नियमवाली, 2015, उत्तराखण्ड अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमवाली, 2020 तथा उत्तराखण्ड अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमवाली, 2021 एवं अधियाचन के अनुरूप समस्त शर्तें पूर्ण की जा रही हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

01. पदनाम:- उपचारिका (स्टाफ नर्स),

(i)-वेतनमान-PB-2, ₹9300-34800, GP- ₹4600

(ii)-रिक्तियों की संख्या:- रिक्तियों की कुल संख्या 1238 एवं विवरण निम्नवत् है:-

(क) स्टाफ नर्स (महिला) (कुल रिक्त पदों 1238 का 80 प्रतिशत)

श्रेणी	OP (OPEN)	EX (EX- SERVICEMAN -भूतपूर्व सैनिक)	DFF (DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTERS-स्वतंत्रता संग्राम सैनानी आश्रित)	PH-OL (PHYSICALLY HANDICAPPED ONE LEG-दिव्यांग-कोई एक पैर प्रभावित)	ON (ORPHAN) उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे)	TOTAL
सामान्य (UR)	475	28	11	22	28	564
अनुसूचित जाति (SC)	153	08	03	06	00	170
अनुसूचित जनजाति (ST)	29	01	00	01	00	31
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	108	05	02	04	00	119
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	95	05	02	04	00	106
योग						990

(ख) स्टाफ नर्स (पुरुष) (कुल रिक्त पदों 1238 का 20 प्रतिशत)

श्रेणी	OP (OPEN)	EX (EX- SERVICEMAN -भूतपूर्व सैनिक)	DFF (DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTERS-स्वतंत्रता संग्राम सैनानी आश्रित)	PH-OL (PHYSICALLY HANDICAPPED ONE LEG-दिव्यांग-कोई एक पैर प्रभावित)	ON (ORPHAN) उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे)	TOTAL
सामान्य (UR)	119	07	02	05	07	140
अनुसूचित जाति (SC)	40	02	00	01	00	43
अनुसूचित जनजाति (ST)	08	00	00	00	00	08
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	28	01	00	01	00	30
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	25	01	00	01	00	27
योग						248

(iii)- पद का स्वरूप- अराजपत्रित

(iv)- शैक्षिक अर्हता:-

(a)- अनिवार्य अर्हता:-उपचारिका (स्टाफ नर्स) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास:-

1. भारतीय नर्सिंग परिषद् से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में बी0एस0सी0 (आनर्स), अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद् से मान्यता प्राप्त

विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बी०एस०सी० नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद् से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग अथवा किसी भारतीय नर्सिंग परिषद् से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी/मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा हो,

2. "उत्तराखण्ड/भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद्" से बी०एस०सी० (आनर्स) अथवा बी०एस०सी० नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी/मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र हो,
3. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान हो।

(b)- अधिमानी अर्हता:- उपचारिका (स्टाफ नर्स) के पद पर सीधी भर्ती के मामलों में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने

(एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो; या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

(v)- लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम एवं चयन प्रक्रिया:-

1. चयन के लिये लिखित परीक्षा 200 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें जिसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। दोनों प्रश्न पत्रों की एक ही बुकलेट होगी एवं परीक्षा एक ही पाली में होगी। परीक्षा समय 3 घंटे निर्धारित किया गया है। प्रश्न पत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

प्रथम प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। सभी प्रश्न नर्सिंग पाठ्यक्रम न्यूनतम शैक्षिक अर्हता (डिप्लोमा स्तर) के होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में इन्टरमीडिएट स्तर के 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, जिनका विभाजन निम्नानुसार होगा:-

1. सामान्य हिन्दी (व्याकरण)-30 प्रश्न, 2. सामान्य ज्ञान एवं उत्तराखण्ड राज्य से सम्बन्धित विषय- 30 प्रश्न, 3. सामान्य अध्ययन- 40 प्रश्न (इतिहास-05 प्रश्न, भूगोल-05 प्रश्न, सामान्य विज्ञान/कम्प्यूटर ज्ञान-05 प्रश्न, अर्थशास्त्र-05 प्रश्न, नागरिक शास्त्र-05 प्रश्न, पर्यावरण एवं प्रदूषण-03 प्रश्न, खेलकूद-03 प्रश्न, पुरस्कार-03 प्रश्न, दिन एवं दिवस-03 प्रश्न, देश, प्रदेशों की राजधानी-03 प्रश्न)
2. लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात्, अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
3. लिखित परीक्षा के पश्चात्, लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् की वेबसाईट www.ubter.in पर प्रदर्शित की जायेगी जिसकी सूचना दैनिक समाचार पत्रों में दी जायेगी।
4. लिखित परीक्षा की उत्तरशीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
5. लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों की प्रवीणता सूची में अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त किये अभ्यर्थियों को ही सम्मिलित किया जायेगा।

परिषद्, डिप्लोमा तथा डिग्रीधारक अभ्यर्थियों (महिला एवं पुरुष) की योग्यताक्रम में, जैसा कि उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों से प्रकट

हो, पृथक-पृथक सूचियों तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो परिषद् उनके नाम अभ्यर्थी की आयु, जिसकी जन्मतिथि पहले हो उसका नाम, के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा।

02. आयु:—

आयु की गणना की निश्चायक तिथि 01 जनवरी 2020 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी 2020 को न्यूनतम 21 (इक्कीस) वर्ष होनी चाहिए तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(क) परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।

03. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो,

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानान्तरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

04. अनापत्ति प्रमाण पत्र:—

जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवा में हों, उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

05. राष्ट्रीयता:—

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :—

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु यह कि उपयुक्त श्रेणी की (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह है कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप-महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें; परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी:— ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया

जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण—पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

06. चरित्र:—

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के दौरान भी यदि अभ्यर्थी का कार्य—व्यवहार उचित नहीं पाया जाता है, तो उनका अभ्यर्थीन निरस्त कर उनके विरुद्ध सम्यक् कार्यवाही की जायेगी। परीक्षा की शुचिता को बाधित करने के लिए नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी परिषद् द्वारा की जायेगी।

07. वैवाहिक प्रास्थिति:—

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाय ऐसा करने के विशेष कारण विद्यमान हैं।

08. शारीरिक स्वस्थता:—

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वो वित्त हस्त—पुस्तिका खण्ड—दो, भाग—तीन के अध्याय—तीन में मूल नियम—10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार चिकित्सा परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करे।

09. आरक्षण:—

1. ऊर्ध्व आरक्षण— उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

2. क्षैतिज आरक्षण— उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सैनानी, भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांग (OL), उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड के प्राविधानों तथा समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा। आवेदन पत्र के साथ आरक्षण संबंधी श्रेणी/उपश्रेणी का प्रमाण—पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं है।

(क) “भूतपूर्व सैनिक” से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो—(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं— (एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले, (चार) जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जायेगा, जब तक कि वह Open Category

की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन के समय आवेदन पत्र भरे जाने की अंतिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी सम्बंधी प्रमाण-पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नोट:- भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रित के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

(ख) "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित" से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) (तीन) पुत्री के पुत्र/पुत्री से है।

नोट:-

1. शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04% तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 10% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य है। विज्ञप्ति में नियोगता विभाग से रोस्टर के अनुरूप प्राप्त आरक्षण दिया गया है।

2. शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, दिव्यांगजनों के लिए 4% एवं उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों को 5% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा। विज्ञप्ति में आरक्षण रोस्टर के अनुरूप नियोक्ता विभाग द्वारा दिया गया क्षैतिज आरक्षण दिया गया है।

3. यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।

4. किसी भी श्रेणी में जो पद आरक्षित पद हैं, उन पर आरक्षण का लाभ राज्य के मूल/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को समुचित आरक्षण श्रेणी चयन करने के साथ-साथ आवेदन-पत्र में दिये गये Domicile को भी क्लिक कर चयनित करना अनिवार्य है, अन्यथा वे आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं कर पायेंगे।

10. ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया:-

(01) अभ्यर्थी परिषद् की वेबसाइट www.ubter.in अथवा www.ubtersn.in पर जाएं।

(02) ऑनलाइन आवेदन हेतु **Click Here to Apply Now** पर **"Click"** करें।

(03) वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र को विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही-सही भरे एवं वेबसाइट पर दर्शित निर्देशों का पालन करें।

(04) ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियां सही भरें। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **Register Now** पर **Click** करें।

(05) वेबसाइट के निर्देशानुसार प्रविष्टियां भर लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र समस्त विवरणों सहित दिखाई देगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपनी स्कैन फोटोग्राफ (20 KB से कम न हो तथा 50 KB से अधिक न हो) एवं हस्ताक्षर **JPG Format** (10 KB से कम न हो तथा 20 KB से अधिक न हो) में अपलोड करने होंगे।

(06) आवेदन पत्र में प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी **Submit** पर **Click** करें तथा प्रविष्टियों के सही होने की दशा में **I Agree** पर **Click** करें।

(07) आवेदन पत्र के साथ अपलोड होने वाले प्रमाण पत्रों की सूची (100 KB से कम न हो तथा 200 KB से अधिक न हो) विज्ञापन के अंतिम पृष्ठ पर अंकित है।

(08) आवेदन पत्र भरने के पश्चात् अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसे संदर्भ हेतु प्रयोग किया जा सके।

(09) अभ्यर्थी आवेदन/परीक्षा शुल्क **Net Banking/Debit Card/Credit Card** द्वारा जमा कर सकते हैं।

(10) अभ्यर्थी शुल्क जमा होने तक आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। शुल्क जमा होने पर किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा।

(11) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा तथा निर्धारित तिथि तक परीक्षा शुल्क जमा न करने पर ऑन-लाईन आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

11. शुल्क:-

ऑनलाईन आवेदन पत्र को भरने के लिए अभ्यर्थी सर्वप्रथम ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करेगा तत्पश्चात आवेदन-पत्र भरने के उपरान्त आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन (**Net Banking/Debit or Credit Card**) के माध्यम से जमा कर सकता है। यदि आवेदन शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पायेगा। किसी भी दशा में जमा शुल्क अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। अतः पद हेतु अनर्ह अभ्यर्थी आवेदन न करें। अभ्यर्थी जमा शुल्क की प्राप्ति रसीद/ऑनलाइन की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रख लें।

अभ्यर्थी को निम्नलिखित आवेदन/परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है:-

क्र०सं०	श्रेणी	शुल्क
1	अनारक्षित (सामान्य)/ओबीसी	रु० 800/- मात्र
2	अनुसूचित जाति/जनजाति/विकलांग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी	रु० 400/- मात्र

Bank Transaction Fee अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी (एक पैर प्रभावित PH-OL) के द्वारा निःशुल्क आवेदन किया जायेगा।

12. परीक्षा केन्द्र :- 1. देहरादून 2. हल्द्वानी

13. महत्वपूर्ण निर्देश :-

(01) परिषद् द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद हेतु उत्तराखण्ड अधीनस्थ, नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015, उत्तराखण्ड अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमवाली, 2020 तथा उत्तराखण्ड अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमवाली, 2021 एवं अध्याचन में उल्लिखित सुसंगत प्राविधानों के अधीन एवं समय-समय पर परिषद् द्वारा लिये गये निर्णय इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(02) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें। जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाए जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के संबंध में परिषद् का निर्णय अंतिम होगा।

(03) परिषद् अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन-पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(04) हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(05) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

(06) प्रश्नगत परीक्षा हेतु शुल्क केवल **Net Banking/Debit or Credit Card** के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(07) लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु परिषद् की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञापित दैनिक समाचार पत्रों में एवं वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी।

(08) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परिषद् की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 10 दिनों के भीतर प्रश्नपत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर परिषद् द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(09) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैल्कुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पेन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पेन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है।

(10) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित:— कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(11) परीक्षा भवन में आचरण:— कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था ना फैलाए तथा परीक्षा संचालन हेतु परिषद् द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान ना करें, ऐसी किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

(12) अँगूठे का निशान (Thumb Impression):— सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में उत्तर-पत्रक के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे। अँगूठे का निशान अंकित न करने पर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(13) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' मूल रूप में तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(14) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:— अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए। परीक्षा कक्ष में प्रतिबन्धित सामग्री ले जाने, अनुचित साधनों के प्रयोग करने, अनुचित आचरण करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करने के साथ ही उन्हें परिषद् की परीक्षाओं के लिए प्रतिबन्धित करने व उनके विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही भी की जायगी।

(15) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि परिषद् को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(16) परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु परिषद् का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

(17) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी परिषद् की वेबसाइट **www.ubter.in** अथवा **www.ubtersn.in** का समय-समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

आवेदन पत्र के साथ अपलोड करने हेतु अनिवार्य प्रमाण पत्रों की सूची:—

1. हाईस्कूल अंकतालिका
2. हाईस्कूल प्रमाण पत्र

3. इन्टरमीडिएट अंकतालिका
4. इन्टरमीडिएट प्रमाण पत्र
5. यदि हाईस्कूल अथवा इन्टरमीडिएट उत्तराखण्ड के बाहर से उत्तीर्ण हैं अथवा किसी आरक्षण का भी लाभ ले रहे हैं तो उत्तराखण्ड का स्थाई निवास प्रमाण पत्र अथवा सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएँ उत्तराखण्ड से बाहर स्थानान्तरित नहीं हो सकती हों, का प्रमाण पत्र।
6. भारतीय नर्सिंग परिषद् से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में बी०एस०सी० (आनर्स) अथवा भारतीय परिषद् से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बी०एस०सी० नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम अथवा नर्सिंग परिषद् से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग अथवा किसी भारतीय नर्सिंग परिषद् से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग एवं मिडवायफरी/मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा।
7. "उत्तराखण्ड/भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद्" से बी०एस०सी० (आनर्स) अथवा बी०एस०सी० नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं मिडवायफरी/मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा पंजीकरण कराये जाने हेतु आवेदन/रसीद की प्रति।
8. वर्तमान में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अधीन किसी कार्यालय में कार्यरत होने की दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र
9. आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में सम्बन्धित उध्वाधर आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र
10. क्षैतिज आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र
11. अधिमानी अर्हता का प्रमाण पत्र।
12. फोटो आई०डी०।

विशेष नोट:- ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी रिक्तियों/विस्तृत विज्ञापन का अवलोकन ध्यानपूर्वक कर लें। अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाओं से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाण पत्र अभिलेख सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे अन्यथा अभ्यर्थी के चयन पर विचार नहीं किया जायेगा। आरक्षण (EWS/SC/ST/OBC) सम्बन्धी समस्त प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड राज्य से जारी होने अनिवार्य हैं तथा आरक्षण का लाभ लेने के लिये उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।

सचिव